[...]द कुमार शर्मा,
[...]व ।

D. No. 1619
दि. 2-8-93

उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3
लखनऊ : दिनांक 28 जुलाई, 1993

137

प्रिय महोदय,

श्री आर०एन०वर्मा, निर्माण एजेन्सी राइट्स के एडवाइजर द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के भवनों के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता द्वारा नोटिस दी गयी है कि बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण कार्य न करवाये जाँय । तद्नुसार निर्माण कार्य रोक दिया गया है ।

2. इस प्रसंग में मुझे यह भी अवगत कराना है कि प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के भवनों का निर्माण कार्य शासन की विभिन्न निर्माण एजेन्सीज जैसे राइट्स, जल निगम तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है । ये सभी निर्माण कार्य शासन से अनुमोदित हैं ।

3. आप अवगत ही हैं कि प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्यों को रोकने में विलम्ब होने के साथ-साथ शासन को आर्थिक क्षति भी होती है । चूँकि ये सभी निर्माण कार्य शासन के अनुमोदनोपरान्त प्रारम्भ किये गये हैं, अतएव अनुरोध है कि शासन के हित में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास एक्ट, 1993 की धारा-53 के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग के निर्माण कार्य जो निर्माण एजेन्सी राइट्स, जल निगम तथा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सम्पन्न कराये जाने हेतु नगर विकास प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन की अनिवार्यता की शर्त से उक्त अधिनियम की धारा-53 के अन्तर्गत अधिसूचना अतिशीघ्र जारी करने की कृपा करें ।

4. सुविधा हेतु निर्माण एजेन्सी राइट्स के एडवाइजर के पत्र दिनांक 15 जुलाई, 1993, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ता द्वारा दी गयी नोटिस दिनांक 25 जुलाई, 1993 की एक-एक फोटो प्रति संलग्न है ।

भवदीय,

(रवीन्द्र कुमार शर्मा)

श्री आर०एस०माथुर,
प्रमुख सचिव,
आवास एवं नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

........2/...

संख्या-2364(1)/प्रा०शि०-3-141(बी)/93, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र, लखनऊ।
2. श्री आर०एन०वर्मा, सलाहकार राइट्स, उत्तर प्रदेश पालीटेक-निक परियोजना, लेखराज मार्केट-111, इन्द्रानगर, लखनऊ-226016.

आज्ञा से,

(एस०के०श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

52. Savings.—Nothing in this Act shall apply to—

(*a*) the carrying out of works for the maintenance, improvement or other alterations of any building, being works which affect only the interior of the building or which do not materially affect the external appearance of the building ;

(*b*) the carrying out by any local authority or by any department of Government of any works for the purpose of inspecting, repairing or renewing any drains, sewers, mains, pipes, cables or other apparatus including the breaking open of any street or other land for that purpose ;

(*c*) the operational construction, (including maintenance, development and new construction) by or on behalf of a department of the Central Government ;

(*d*) the erection of a building not being a dwelling house, if such building is required for the purposes subservient to agriculture ;

(*e*) the excavations (including wells) made in the ordinary course of agricultural operations ; and

(*f*) the construction of unmetalled road intended to give access to land solely for agricultural purposes.

It corresponds to Section 54 of Act 61 of 1957.

53. Exemption.—Notwithstanding anything contained in this Act the State Government may by notification in the Gazette exempt, subject to such conditions and restrictions, if any, as may be specified in such notification any land or building or class of lands or buildings from all or any of the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder.

54. Plans to stand modified in certain cases.—(1) Where any land situated in the development area is required by the master plan or a zonal development plan to be kept as an open space or unbuilt upon or is designated in any such plan as subject to compulsory acquisition, then, if at the expiration of ten years from the date of coming into operation of the plan under Section 12 or where such land has been so required or designated by any amendment of such plan, from the date of coming into operation of such amendment under sub-section (4) of Section 13, the land is not compulsorily acquired the owner of the land may serve on the State Government a notice requiring his interest in the land to be so acquired.

(2) If the State Government fails to acquire such land within a